मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

गुरुवार, दिनांक 11 जुलाई, 2013 (आषाढ़ 20, 1935)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.31 बजे समवेत हुई.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित में से 16 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये।

(मऊ से लखनवास मार्ग हेतु पत्राचार संबंधी प्रश्न संख्या-10 (*क्र.1286) पर श्री पुरूषोत्तम दांगी, सदस्य द्वारा तथा प्रदेश में आयोजित इन्वेस्टर्स मीट संबंधी प्रश्न संख्या-13 (*क्र. 1067) पर श्री हेमराज कल्पोनी, सदस्य द्वारा शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया गया।)

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 62 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 67 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2. स्वागत उल्लेख

अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री अनिल माधव दवे, राज्यसभा सदस्य की अध्यक्षीय दीर्घा में उपस्थिति पर, सदन की ओर से स्वागत सम्बन्धी उल्लेख किया गया।

3. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) श्री रमेश मैन्दोला, सदस्य ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम चिकित्सालय, इंदौर के कर्मचारियों की पदस्थापना करने,
(2) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य ने कलेक्टर, टीकमगढ़ द्वारा शासन के पत्रों पर कार्रवाई न करने,
(3) श्री कमलेश जाटव, सदस्य ने विश्वविद्यालयों द्वारा ए.टी.के.टी. परीक्षा का आयोजन न करने,
(4) श्री पारस सकलेचा, सदस्य ने व्यावसायिक परीक्षा मंडल की परीक्षाओं में फर्जी परीक्षार्थी बैठने,
(5) श्री गोविन्द सिंह राजपूत, सदस्य ने योग शिक्षकों को रोजगार के अवसर प्रदान करने,
(6) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर, सदस्य ने लिपिकवर्गीय कर्मचारियों की वेतन विसंगति दूर करने,
(7) श्री तुलसीराम जाटव, सदस्य ने इन्दौर की ओमेक्स सिटी द्वारा मायाखेड़ी ग्राम के लोगों का रास्ता रोकने,
(8) श्री प्रताप ग्रेवाल, सदस्य ने एल.आई.सी. की जीवन मंगल पालिसी में एन.जी.ओ. द्वारा घोटाला करने तथा
(9) श्री पुरूषोत्तम दांगी, सदस्य ने राजगढ़ जिले के ब्यावरा में कोटवारों की स्थिति खराब होने,
सम्बन्धी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत कीं।

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री ने महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011-12 पटल पर रखा।

(2) श्रीमती अर्चना चिटनीस, स्कूल शिक्षा मंत्री ने उनके विभाग की अधिसूचनाएं –

(i) क्रमांक एफ-44/9/2011/बीस-2, दिनांक 26 मार्च, 2011,
(ii) क्रमांक एफ-44-2011-बीस-2, दिनांक 20 जुलाई, 2011,
(iii) क्रमांक एफ-44-37-2010-बीस-2, दिनांक 1 जुलाई, 2010,
(iv) क्रमांक एफ-44-59-2010-बीस-2, दिनांक 1 जुलाई, 2010,
(v) क्रमांक एफ-44-84-2010-बीस-2, दिनांक 16 नवम्बर, 2010, अधिनियम की धारा 2 (डी); तथा
(vi) क्रमांक एफ-44-84-2010-बीस-2, दिनांक 16 नवम्बर, 2010, अधिनियम की धारा 2 (ई) ,
पटल पर रखीं।

(3) डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री ने जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय. जबलपुर (म.प्र.) की वैधानिक आडिट रिपोर्ट वर्ष 2011-12 (उप संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, जबलपुर (म.प्र.) द्वारा प्रेषित प्रमुख आपत्तियां, स्पष्टीकरण हेतु उत्तर एवं प्रमण्डल की टिप्पणियां सहित) पटल पर रखीं।

5. ध्यान आकर्षण

(1) श्री सुरेश चौधरी, सदस्य ने मुरैना जिले के अटारघाट पर पांटून पुल संधारण हेतु रखी सामग्री की अवैध बिक्री होने की ओर ध्यान आकर्षित किया। श्री नागेन्द्र सिंह, लोक निर्माण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री रामगरीब कोल, सदस्य ने बाणसागर परियोजना की नहरों हेतु अधिग्रहीत भूमि का निर्धारित मुआवजा न दिये जाने की ओर ध्यान आकर्षित किया। श्री जयंत मलैया, जल संसाधन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

6. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति एवं स्वीकृति

(1) श्री बृजमोहन धूत, सभापति ने गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का छब्बीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। तदनुसार समिति ने शुक्रवार, दिनांक 12 जुलाई, 2013 को आने वाले अशासकीय संकल्पों पर विचार कर चर्चा हेतु निम्नलिखित समय निर्धारित करने की सिफारिश की गई है :-

क्रमांक	अशासकीय संकल्प क्र.	प्रस्तुतकर्ता सदस्य	निर्धारित समय
1.	(क्रमांक-4)	श्री संजय पाठक	15 मिनट
2.	(क्रमांक-6)	श्री रामलल्लू वैश्य	15 मिनट
3.	(क्रमांक-10)	श्री रामनिवास रावत	30 मिनट
4.	(क्रमांक-14)	श्री यशपाल सिंह सिसोदिया	15 मिनट
5.	(क्रमांक-38)	श्री सुदामा सिंह सिग्राम	15 मिनट

श्री बृजमोहन धूत, सभापति ने प्रस्ताव किया कि सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के छब्बीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(2) श्री ओमप्रकाश सकलेचा, सभापति ने प्राक्कलन समिति का अष्टम् एवं नवम् प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

(3) श्री गिरीश गौतम, सभापति ने सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के एक सौ पचासवें प्रतिवेदन से एक सौ चौहत्तरवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किये।

(4) श्री हरेन्द्रजीत सिंह, सभापति ने पटल पर रखे गये पत्रों का परीक्षण करने संबंधी समिति का बीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

(5) श्री अंतर सिंह आर्य, सभापति ने प्रश्न एवं संदर्भ समिति का तेरहवां एवं चौदहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

(6) सुश्री मीना सिंह माण्डवे, सभापति ने महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति का पंचम् प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

7. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित सदस्यों की याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गईः-

(1) श्री रामगरीब कोल (जिला-रीवा)

(2) श्री संजय पाठक (जिला-कटनी)

(3) श्री कमल पटेल,सदस्य (जिला-हरदा)

8. मंत्रिपरिषद के प्रति अविश्वास के प्रस्ताव पर चर्चा

दिनांक 9 जुलाई, 2013 को अनुमति प्राप्त अविश्वास प्रस्ताव पर, चर्चा के प्रस्ताव की प्रस्तुति हेतु, श्री अजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष का नाम पुकारा गया। तभी सदस्य चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, उपनेता प्रतिपक्ष ने माननीय अध्यक्ष की अनुमति लेकर, अविश्वास प्रस्ताव के विरोध में अपनी बात कही।

श्री कैलाश विजयवर्गीय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री द्वारा यह व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया कि – ‘‘मध्यप्रदेश के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि नेता प्रतिपक्ष ने अविश्वास का प्रस्ताव रखा और उपनेता प्रतिपक्ष द्वारा उसका विरोध किया गया। इस स्थिति के बाद इस प्रस्ताव पर चर्चा की कोई आवश्यकता नहीं है’’।

व्यवधान के चलते कांग्रेस पक्ष के सदस्यों ने खड़े होकर नेता प्रतिपक्ष के समर्थन में विश्वास व्यक्त किया तथा सत्ता पक्ष के सदस्यगण द्वारा भी खड़े होकर सदन के नेता (मुख्यमंत्री महोदय) के समर्थन में विश्वास व्यक्त किया।

सदन में अत्यधिक व्यवधान एवं नारेबाजी के कारण, अध्यक्ष महोदय द्वारा कार्यवाही आधे घण्टे के लिए स्थगित की गई। मध्याह्न 12.17 बजे कार्यवाही आधे घंटे के लिये स्थगित होकर 12.46 बजे पुन:समवेत् हुई।

9. स्वागत उल्लेख

अध्यक्ष महोदय द्वारा सुश्री उमा भारती, पूर्व केन्द्रीय मंत्री, वर्तमान विधायक एवं पूर्व मुख्यमंत्री तथा श्री सुरेश पचौरी, पूर्व केन्द्रीय मंत्री का अध्यक्षीय दीर्घा में उपस्थिति पर, सदन की ओर से स्वागत सम्बन्धी उल्लेख किया गया।

10. मंत्रिपरिषद के प्रति अविश्वास के प्रस्ताव पर चर्चा (क्रमश:)

श्री अजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष ने प्रस्ताव रखा कि - "यह सदन मुख्यमंत्री, श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में गठित मंत्रिपरिषद के प्रति अविश्वास प्रकट करता है." प्रस्ताव रखने के बाद नेता प्रतिपक्ष ने औचित्य का प्रश्न उठाकर कहा कि – "अविश्वास प्रस्ताव पर एक विधायक की आपत्ति से प्रस्ताव पर चर्चा नहीं रोकी जा सकती."

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री तथा डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पर कांग्रेस के उपनेता की आपत्ति के बाद चर्चा का औचित्य नहीं होने संबंधी मत व्यक्त किया गया।

लगातार व्यवधान जारी रहा। व्यवधान के चलते न नेता प्रतिपक्ष के औचित्य के प्रश्न पर व्यवस्था आ सकी, और न ही आसंदी द्वारा नेता प्रतिपक्ष द्वारा रखा गया प्रस्ताव प्रस्तुत ही किया जा सका।

11. विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने विषयक प्रस्ताव

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने सदन को सूचित किया कि चूंकि वर्तमान सत्र हेतु नियत महत्वपूर्ण शासकीय कार्य पूरा हो गया है और प्रतिपक्ष (कांग्रेस) के सदस्य सदन चलाना नही चाहते हैं, सहयोग नही कर रहे हैं और सदन की कार्यवाही को बाधित कर रहे हैं। अत: उन्होंने यह प्रस्ताव किया कि -"विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाए."

श्री कैलाश विजयवर्गीय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री द्वारा इस प्रस्ताव का समर्थन किया गया।

अध्यक्ष महोदय द्वारा यह घोषणा की गई कि – "डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा यह प्रस्ताव रखा गया है कि संसदीय कार्य समाप्त हो गया है और अन्य कार्य लंबित नहीं है अत: मैं सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करता हूँ"।

12. राष्ट्रगान "जन गण मन" का समूहगान

सदन में माननीय सदस्यगण द्वारा खड़े होकर राष्ट्रगान "जन-गण-मन" का समूह गान किया गया।

अध्यक्ष महोदय द्वारा अपराह्न 12.59 बजे विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई।

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :
दिनांक : 11 जुलाई, 2013